

प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञाप्ति संख्या 24 / 2021)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) 2018' के क्रियान्वयन पर प्रेस विज्ञाप्ति

नई दिल्ली, 01.04.2021— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से निपटने के लिए 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 ('टीसीसीसीपीआर, 2018') अधिसूचित किया है, जो यूसीसी को नियंत्रित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। विनियम 28.02.2019 से लागू हुआ। तब से, भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), के माध्यम से विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रमुख संस्थाओं से बात कर रहा है।

2. विनियमों के प्रावधानों एवं टीएसपी द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार, सेंडर्स (ओटीपी, ट्रांजेक्शनल मैसेज, सर्विस मैसेज या कमर्शियल मैसेज) को थोक संचार भेजने के लिए निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। विनियामक प्रावधान न केवल स्पैम को रोकने में बल्कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य भरोसेमंद स्रोतों से आने वाले धोखाधड़ी वाले संदेशों की रोकथाम करने में भी मदद करते हैं।

3. स्पैम पर अंकुश लगाने के लिए उपायों में से एक उपाय, पंजीकृत कंटेंट टेंपलेट के लिए डिलीवर किए जाने वाले एसएमएस के कंटेंट को स्क्रब करना था। यह प्रक्रिया टीएसपी द्वारा 8 मार्च, 2021 करे शुरू की गई थी, मगर उच्च अस्वीकरण अनुपात के कारण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। विभन्न हितधारकों के साथ बैठक करने और अस्वीकरण के प्रमुख कारणों की पहचान करने के बाद, संबंधित संस्थाओं को निवारक कदम उठाने के लिए कहा गया था। आज यानी 1 अप्रैल 2021 को कंटेंट स्क्रबिंग को फिर से शुरू किया गया है।

4. टीएसपी से प्राप्त रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ मामलों को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण समस्या ध्यान में नहीं आई है और संदेश, जो विनियमों के अनुरूप हैं, सफलतापूर्वक डिलीवर हो रहे हैं। भादूविप्रा इस अवसर पर पिछले दिनों के दौरान कड़ी मेहनत और इस सफलता को पाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी हितधारकों को धन्यवाद करना चाहता है। इस संबंध में, भादूविप्रा सहयोग और समर्थन के लिए आरबीआई, सेबी, यूआईडीएआई, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीएसटीएन आदि का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है। भादूविप्रा इस सफलता को हासिल करने में की गई अथक मेहनत के लिए सभी टीएसपी, पीई, टीएम आदि का भी आभार व्यक्त करता है।

5. टीएसपी को कुछ पीई/टेलीमार्केटर्स/समूहक से किसी अस्वीकारण के मामले में एसएमएस के अस्वीकरण के कारण की पहचान करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। हम विनियामक निकायों, केन्द्र और राज्य के विभागों,

औद्योगिक निकायों से उपभोक्ताओं के हित में इन विनियमों को प्रभावी तरीके लागू करने के लिए उनके नियंत्राधीन संगठनों पर प्रभाव डालने के लिए अनुरोध करते हैं।

6. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री असित कादयान, सलाहकार (सेवाओं की गुणवत्ता) से टेलीफोन नंबर 11-23230404, या ईमेल advqos@trai.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा